

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1619  
27.07.2016 को दिया जाने वाला उत्तर

वाणिज्यिक विकास के माध्यम से धनराशि

1619. श्री दुष्यंत चौटाला:  
डॉ. के. गोपाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रेलवे ने ऐसे 15 मापदंड चिह्नित किए हैं जिनके आधार पर 400 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधा के साथ पुनर्विकसित किया जाएगा, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या रेलवे की इन स्टेशनों की रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के माध्यम से धनराशि जुटाने की योजना है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

वाणिज्यिक विकास के माध्यम से धनराशि के संबंध में दिनांक 27.07.2016 को लोक सभा में श्री दुष्यंत चौटाला और डॉ. के. गोपाल द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1619 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग) : भारतीय रेलवे ने इच्छुक पार्टियों से उनके डिजाइन और व्यावसायिक सुझावों सहित प्रस्ताव आमंत्रित करके, "जैसा है जहां है" के आधार पर 'ए-1' और 'ए' श्रेणी के स्टेशनों (लगभग 400 की संख्या में), का पुनर्विकास करने की अपनी योजना का विज्ञापन दिया है। स्टेशन के पुनर्विकास की पूरी लागत स्टेशन और इसके आस-पास की भूमि और नभ क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास से होने वाले लाभ से पूरी की जाएगी। पुनर्विकसित स्टेशन में प्रस्तावित सुविधाएं स्टेशन परिसरों के लिए भीड़-भाड़ मुक्त गैर-विसंगत प्रवेश/निकास, यात्रियों के आगमन/प्रस्थान को अलग-अलग करना, बिना भीड़-भाड़ वाले पर्याप्त कॉनकोर्स, शहर की दोनों दिशाओं का एकीकरण, जहां भी व्यवहारिक हो, परिवहन प्रणाली के अन्य साधनों अर्थात् बस, मेट्रो आदि के साथ एकीकरण करना, उपयोगकर्ता अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय साइनेज, बेहतर रोशनी वाले परिपथन क्षेत्र और छोड़ने, ले जाने तथा पार्किंग के लिए पर्याप्त प्रावधान आदि शामिल हैं।

इस संबंध में क्षेत्रीय रेलों को सामान्य दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मॉडल बोली दस्तावेज और विकास करार तैयार कर लिए गए हैं और हितधारकों के परामर्श के लिए रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*